Regarding restoration of Old Pension Scheme

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय**,** मैं आपके माध्यम से मांग रखता हूं**, 1** जनवरी 2004 के बाद देश में नियुक्त 70 लाख से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर शेयर बाजार पर आधारित नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया, जो किसी के हित में नही हैं । नई पेंशन व्यवस्था में वर्तमान समय में सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कर्मचारियों को मात्र 850 रूपये से 1243 रूपये तक की पेंशन दी गयी है, जिसके कारण सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कर्मचारी आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे है । पुरानी पेंशन व्यवस्था देश के कार्मिकों का संवैधानिक हक है, जो उसे संबंधित विभागीय सेवा की एवज में आर्थिक सामाजिक सुरक्षा दिया जाता हैं ।

आज सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था और देश के योग्य बेरोजगार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होगा । नई पेंशन व्यवस्था निजीकरण व पूँजीवाद को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है ।

इससे कर्मचारियों में अत्यंत रोष है ।

माननीय सभापति जी, मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि 70 लाख से अधिक शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेरा-मेडिकल फोर्स के सैनिकों की आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा हेतु नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए । धन्यवाद ।